यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 262 / 2022

प्रार्थीगण **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1. देराजराम पुत्र जालाराम उम्र 41 वर्ष
2. गोमाराम पुत्र जालाराम उम्र 45 वर्ष
3. धर्माराम पुत्र जालाराम उम्र 43 वर्ष
4 नवलाराम पुत्र जालाराम उम्र 57 वर्ष
5. डालूराम पुत्र जालाराम उम्र 55 वर्ष

जातियान जाट निवासी करडाली नाडी, एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

विप्रार्थीगण

1.कालुराम पुत्र रामाराम उम्र 60 वर्ष
2. चेनाराम पुत्र रामाराम उम्र 58 वर्ष
3. जेयाराम पुत्र पोकरराम उम्र 40 वर्ष
4. तोगाराम पुत्र रामाराम उम्र 40 वर्ष
5. नेनुदेवी पत्नि रामाराम उम्र 80 वर्ष
6. मंगलाराम पुत्र पोकरराम उम्र 35 वर्ष
7. मोतीराम पुत्र रामाराम उम्र 42 वर्ष
8. मोहनराम पुत्र रामाराम उम्र 35 वर्ष
9.सताराम पुत्र पोकरराम उम्र 70 वर्ष
10.सायरराम पुत्र पोकरराम उम्र 58 वर्ष
11. गजरोंदेवी पत्नि मिसराराम उम्र 43 वर्ष
12. अचलाराम पुत्र डूंगराराम उम्र 48 वर्ष
13. करनाराम पुत्र हरजीराम उम्र 65 वर्ष
14. किसनाराम पुत्र खेताराम उम्र 40 वर्ष
15. खोताराम पुत्र हरजीराम उम्र 50 वर्ष
18. गंगादेवी पत्नि चुतराराम उम्र 72 वर्ष
17. छगनाराम पुत्र डूंगराराम उम्र 50 वर्ष
18. जेपाराम पुत्र भगवानाराम उम्र 40 वर्ष
19. दुदाराम पुत्र पदमाराम उम्र 60 वर्ष
20. दलूदेवी पत्नि भगवानाराम उम्र 73 वर्ष
21. दानाराम पुत्र भगवानाराम उम्र 40 वर्ष
22. धूकाराम पुत्र लालाराम उम्र 50 वर्ष
22. नैनाराम पुत्र हरजीराम उम्र 51 वर्ष
24. प्रभूराम पुत्र हरजीराम उम्र 40 वर्ष
25. भोमाराम पुत्र डूंगराराम उम्र 35 वर्ष
26. मूलाराम पुत्र दूंगराराम उम्र 30 वर्ष
27. मावाराम पुत्र डूंगराराम उम्र 24 वर्ष
28. रूपाराम पुत्र हरजीराम उम्र 55 वर्ष
29. राणाराम पुत्र हरजीराम उम्र 60 वर्ष
[illegible] पुत्र भारमलराम उम्र 63 वर्ष
31. [illegible]राम पुत्र हरजीराम उम्र 70 वर्ष
[illegible] पुत्र चुतराराम उम्र 37 वर्ष
33. सुन्धाराम पुत्र खेताराम [illegible] 45 वर्ष
34. सुबटी पत्नि बुधाराम [illegible] 42 वर्ष
35. सायरोदेवी पत्नि हनुमानराम
36.हनुमानराम दत्तक पुत्र मोहनराम
37.मेघाराम पुत्र खेताराम उम्र 40 वर्ष

जातियान मेघवंशी (मेघवाल) निवासी करडाली नाडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.10.11 16:26:32 IST
Reason: SelfAttested

38. अर्जनराम पुत्र चेतनराम उम्र 50 वर्ष
39. कंवराराम पुत्र चेतनराम उम्र 45 वर्ष
40. कोशलाराम पुत्र चेतनराम उम्र 40 वर्ष
41. पूनमाराम पुत्र चेतनराम उम्र 30 वर्ष
42. पेमाराम पुत्र चेतनराम उम्र 35 वर्ष
जातियान जाट निवासी चुतराणियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला तहसील बायतु जिला बाड़मेर
43. अन्तरो पत्नि हीराराम उम्र 70 वर्ष
44. दुर्गाराम पुत्र हीराराम उम्र 48 वर्ष
45. मदनलाल पुत्र हीराराम उम्र 38 वर्ष
48. महेन्द्रकुमार पुत्र हीराराम उम्र 30 वर्ष
जातियान ब्राहम्ण निवासी कोशलू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
47. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री विष्णु चौधरी विप्रार्थी सं. 1,2,4 से 10 अनुपस्थित।
3. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 20.09.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का संयुक्त खातेदारी का खेत पटवार मण्डल एड सिणधरी के राजस्व ग्राम करडाली नाडी के खेत खसरा संख्या 177/3 रकबा कमशः 12.1350 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत राजस्व ग्राम करडाली नाडी के खेत खसरा संख्या 177/3 रकबा कमशः 12.1350 हैक्टेयर की पत्थर नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.10.11 16:25:32 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण सं. 3,11 से 47 को सुनवाई का एवं विप्रार्थी सं. 1,2,4 से 10 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत राजस्व ग्राम करडाली नाडी के खेत खसरा संख्या 177/3 रकबा क्रमशः 12.1350 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत ग्राम करडाली नाडी के खेत खसरा संख्या 177/3 रकबा क्रमशः 12.1350 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम करडाली नाडी के खेत खसरा संख्या 177/3 रकबा क्रमशः 12.1350 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण सं. 3,11 से 47 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, और विप्रार्थी सं. 1,2,4 से 10 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर खेत ग्राम करडाली नाडी के खेत खसरा संख्या 177/3 रकबा क्रमशः 12.1350 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण के [illegible] के जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारी[illegible] कमिश्नर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट [illegible] मिसल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.10.11 16:25:32 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20.09.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)